02/2017
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 02/2017 अनवानी श्रीमति शांतिदेवी पुत्री बींझाराम पत्नि केसराम जाति बावरी निवासी 22 आरबी तह0 रायसिंहनगर बनाम 1–मुखराम पुत्र बींझाराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहसील श्रीगंगानगर 2–साहबराम 3–श्रीमति मोहरा बाई 4– भैराराम 5–गोपीराम 6–जगाराम 7–दयालाराम 8–तहसीलदार श्रीगंगानगर 9–एसबीबीजे शाखा कालिया 7–सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.02.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री बलविन्द्र सिंह बराड़ उपस्थित है। अप्रार्थीगण जगाराम, भैराराम, दयालाराम, साहबराम के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण श्री ओ.पी.बतरा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में लम्बित वाद संख्या 33/2015 अनवानी मुखराम आदि बनाम शांति देवी आदि धारा 88, 53 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर का पद रिक्त होने के कारण इस पद का अतिरिक्त कार्यभर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के पास था और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में लम्बित वाद संख्या 33/2015 अनवानी मुखराम आदि बनाम शांति देवी आदि धारा 88, 53 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर का पद रिक्त होने के कारण उनका अतिरिक्त कार्यभर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के पास था और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

527
6/3/2017

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर